न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अजमेर /अपील / टी.ए संख्या ....47... /2026

----- 2026/47

1. रामधन पुत्र श्री नन्दा जी जाति जाट निवासी आजाद कॉलोनी, कादेडा रोड, केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

---- अपीलांट

बनाम्

1. गीता देवी पत्नि श्री जगदीश जाट
2. नारायण पुत्र श्री जगदीश जाट
3. राजेश पुत्र श्री जगदीश जाट

   समस्त निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

4. जयसिंह पुत्र श्री भागचन्द
5. ललिता देवी पत्नि श्री भागचन्द जाट

   समस्त निवासीगण माछोला का रास्ता, कादेडा रोड़ केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

6. किस्मत पुत्री श्री जगदीश जाट पत्नि श्री महावीर जाट निवासी केकडी हाल निवासी गुजरवाडा जयपुर रोड केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
7. कर्मा पुत्री श्री जगदीश जाट पत्नि श्री राजू जाट निवासी केकडी हाल निवासी गुजरवाडा जयपुर रोड़ केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. धर्मा पुत्री श्री जगदीश जाट पत्नि श्री हेमराज जाट निवासी केकडी हाल निवासी ग्राम छापरी तहसील सारवाड़ जिला अजमेर।
9. रेखा पुत्री श्री जगदीश जाट पत्नि श्री सांवरलाल जाट निवासी केकडी हाल निवासी ग्राम छापरी तहसील सावर जिला अजमेर।

10. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

11. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, केकडी उपपंजीयन कार्यालय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

------- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 28.01.2026 प्रार्थना पत्र संख्या 10/2026

महोदय जी,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

(क) यह है कि वादी /अपीलांट ने एक राजस्व वाद विद्वान विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकड़ी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53, 88, 188, 209, 92-ए बाबत् खातेदारी घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी / रेस्पो. के विरूद्ध प्रस्तुत कर वाद अनुसार डिक्री चाही वाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी ग्राम केकडी तहसील केकडी में स्थित है जिसमें अनूसूची अः- में वर्णित आराजी खाता संख्या 2037-1785 के खसरा नम्बर 1846, 1860, 1881, 1882, 1887, 1925, 1955 कुल किता 7 कुल रकबा 5.91 हैक्टयर एवं अनूसूचीः- ब में खाता नम्बर 972-856 में अंकित खसरा नम्बर 1843, 1984 कुल किता 2 कुल रकबा 3.53 हैक्टयर अनूसूचीः- ब के खाता संख्या 973-858 में अंकित खसरा नम्बर 1833, 1844

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामधन बनाम गीता देवी वगैरह

किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026/47 (केकडी)

आ०स्वीकार्य रिमा० 4/2/26

	श्री दिनेश शर्मा/एस0पी0 औझा	
30.01.2026	रामधन बनाम गीता देवी वगैरह (2026/47) यह अपील श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 10/2026 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 04.02.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
04.02.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष विचाराधीन वाद में प्रार्थी सहखातेदार है और आराजीका विभाजन नहीं हुआ उसके बावजूद आराजी को आगे रहन, बय, मुंतकिल कर दी जाती है अथवा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपारक्षति होगी। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ने पक्षकारों की बहस सुनकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करना उचित नहीं होना मानकर गलत रूप से निर्णित किया है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उपखण्ड अधिकारी, केकडी के आदेश दिनांक 28.01.2026 में अंकित विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2026 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। दिनांक 23.01.2026 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका में अंकित किया एवं आगामी पेशी दिनांक 28.01.2026 नियत की गई। दिनांक 28.01.2026 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनने के उपरांत प्रार्थना पत्र में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु पेशी दिनांक 16.02.2026 नियत की गई। प्रार्थी/अपीलांट रिकॉर्डेड सहखातेदार है। उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने से विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द, बेचान, हस्तातंरण नहीं की जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर	लगातार...

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
रामधन बनाम गीता देवी वगैरह
किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 2026/47 (केकडी)

श्री S.P ओझा/ [illegible] शर्मा

लगातार..

बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक विवादित आराजी को आगे बेचान नहीं किये जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA